(19)

राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि०,

पश्चिम ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, 22 गोदाम सक्रिल, जयपुर
Phone No. : 0141-2740440, 2740553, **Fax No.** : 0141-2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@gmail.com, **website** : www.rsldb.nic.in

क्रमांक : फा.आवि/एमुसयो 2017–18/2017–18/ 13101-192 दिनांक : 31-08-2017.

सचिव,
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
.....

विषय : एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 के दिशा निर्देश।
प्रसंग : इस बैंक के पत्रॉक 12820–911 दिनॉक 29.08.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रॉक द्वारा एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 भिजवायी जा चुकी है। उक्त योजना के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार है :–

1. **उक्त योजना को अंगीकार करने के पश्चात् प्रस्ताव की प्रति राज्य बैंक को तत्काल भिजवायें।** यह योजना प्राथमिक बैंक द्वारा अंगीकार करने की तिथि से लागू मानी जावेगी।
2. **प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि/अकृषि ऋण जो दिनांक 01.07.2017 को अवधिपार हो चुके हैं, इस योजना के पात्र होंगे परन्तु दिनांक 01.04.2014 के पश्चात् वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों के ऋणी इस योजना के पात्र नहीं होंगे चाहे वे दिनांक 01.07.2017 को अवधिपार हो अर्थात दीर्घकालीन कृषि ऋणों हेतु लागू 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के पात्र ऋणियों के अवधिपार होने की दशा में, वे इस योजना के पात्र नहीं होगे।**
3. योजना की पूर्णरूपेण सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य बैंक के प्रधान कार्यालय एवं संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से 4 सदस्यीय दल का गठन किया जावेगा, जो संबंधित प्राथमिक बैंक की शाखाओं का विजिट/निरीक्षण करेंगे। संबंधित प्राथमिक बैंक सभी अवधिपार ऋणियों को दिनांक 30.09.2017 तक नोटिस जारी करना सुनिश्चित करेंगे। यदि पात्र ऋणी योजना की सूचना से वंचित रह जाता है तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी सचिव स्वंय की होगी। प्राथमिक बैंक के कार्मिकों द्वारा प्रत्येक माह पात्र ऋणियों को मोबाईल द्वारा योजना के लाभ लिये जाने के संदर्भ में सूचित किया जावेगा।
4. **प्रत्येक पात्र ऋणी द्वारा जमा करायी जाने वाली समझौता राशि का कम से कम 25 प्रतिशत दिनांक 31.12.2017 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि उक्त ऋणी विलफुल डिफाल्टर है एवं योजना का लाभ उठानें का इच्छुक नही है। ऐसे ऋणी के विरूद्व प्राथमिकता से अधिनियामान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावे।**
5. प्राथमिक बैंक की शाखा के निकटस्थ ग्राम अटल सेवा केन्द्र पर योजना से संबंधित एक होर्डिंग लगाया जावे (होर्डिंग का साईज, पैटर्न एवं योजना के प्रचार–प्रसार हेतु विषयवस्तु राज्य बैंक द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करवा दी जावेगी)।
6. प्राथमिक बैंक की शाखा परिसर में बैनर/फ्लेक्स बनाये जाकर आवश्यक रूप से लगाये जावें।
7. प्राथमिक बैंक के वाहनों पर योजना के बैनर/फ्लेक्स बनाये जाकर आवश्यक रूप से लगाये जावेंगे तथा वाहनों से लाउडस्पीकर द्वारा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे।

(20)

8. प्राथमिक बैंक व प्रत्येक शाखा परिसर के नोटिस बोर्ड पर सम्पूर्ण योजना आवश्यक रूप से चस्पा करेंगे तथा ऋणी द्वारा चाहे जाने पर योजना की प्रति निर्धारित शुल्क लिया जाकर प्रदान करेंगे।
9. **योजनान्तर्गत दी जाने वाली छूट राशि से प्रत्येक पात्र अवधिपार ऋणी सदस्य को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1) में दिनांक 30.09.2017 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें तथा योजना की अवधि में ऋणी कृषक द्वारा लाभ लिये जाने हेतु प्रेरित करते हुए पावती प्राप्त करें।**
10. **पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–2 में योजना की पाक्षिक प्रगति से वसूली प्रकोष्ठ, राज्य बैंक को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।**
11. योजनान्तर्गत समस्त पात्र अवधिपार ऋणियों की खातावार सूचना, ऋणियों को दी जाने वाली राहत, ऋणियों से प्राप्त नकद वसूली एवं कुल वसूली की सूचना प्राथमिक बैंक स्तर पर संधारित की जावे ताकि समय–समय पर राज्य बैंक या सहकारी विभाग द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के समय उपलब्ध हो सके।

प्राथमिक बैंक अपने फील्ड स्टॉफ को पाबन्द करें कि वे एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 के अन्तर्गत पात्र अवधिपार ऋणियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अवधिपार प्रकरणों को योजना अवधि समाप्त होने से पूर्व निपटाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही योजना इस प्रकार लागू की जावे कि यदि कोई ऋणी योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उसे समय रहते हुए उसके विरूद्व अधिनियामान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जावे।जैसा कि दिशा निर्देशों के बिन्दु संख्या 4 से स्पष्ट है। जो प्रकरण अवधिपार हैं परन्तु एकमुश्त समझौता योजना 2017–18 के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी नहीं आते हैं, उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही सम्पादित कर त्वरित गति से वसूली की जावे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

-sd-

(विजय कुमार शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : फा.आवि/एमुसयो 2017–18/2017–18/ दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, सहकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मोनेटरिंग) सहकारी विभाग, राज.जयपुर को उनके पत्र क्रमांक फा. 50(3)सविरा/मोने/एस.ए/एस.ए/ए.मु.स.यो./2015/पार्ट–।।। दिनांक 22.08.2017 के क्रम में।
5. अध्यक्ष/प्रशासक, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक.....
6. महा प्रबन्धक, प्रथम/द्वितीय बैंक।
7. उप/सहायक महाप्रबन्धक, विधानसभा एवं जनसंपक्र प्रकोष्ठ/लेखा एवं वित्त/प्रशासन एवं कार्मिक/निरीक्षण एवं सुपरवीजन, बैंक।
8. वरिष्ठ प्रबन्धक, वसूली प्रकोष्ठ बैंक।
9. क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय ..... को भेजकर लेख है कि पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने अधीनस्थ प्राथमिक बैंको से सूचना प्राप्त कर, उनकी जांच उपरान्त इकजाई कर भिजवाने का श्रम करें।
10. सहायक महाप्रबन्धक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक को भेजकर लेख है कि उक्त योजना व संबंधित आवश्यक पत्रादि राज्य बैंक की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
11. प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ, बैंक।

प्रबन्ध निदेशक

(21)

परिशिष्ठ–1

राज्य के किसानों के लिए मुख्यमंत्री महोदया द्वारा अभूतपूर्व सौगात

सहकारी भूमि विकास बैंक लि..... शाखा .....

श्री / श्रीमती..... जाति–..... खाता संख्या : .....

ग्राम–..... ग्राम पंचायत.....

तहसील–.....

जिला–.....

विषयः–मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत छूट का लाभ उठाने बाबत्।

राज्य सरकार द्वारा बैंक हेतु घोषित एकमुश्त समझौता योजना के अन्तर्गत बैंक की तरफ बकाया अवधिपार राशि में से निम्नानुसार राशि जमा करा कर छूट का लाभ उठावें। विगत निम्न प्रकार हैं:–

01.07.2017 की बकाया स्थिति	असल	ब्याज	दण्ड़नीय ब्याज व अन्य खर्चे	कुल योग
अवधिपार राशि				
छूट की राशि				
छूट के पश्चात् जमा कराने योग्य राशि				

ऋण की आगामी किश्ते यथावत निर्धारित दिनांक को जमा करवानी होगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से समझौता तिथि तक मृतक के हिस्से का बकाया ब्याज भी माफ किया जावेगा। उक्त योजना सीमित अवधि के लिए अन्तिम बार लागू की गई है। अतः अतिशीघ्र अवधिपार ऋण जमा कराकर छूट का लाभ उठावें।

उपरोक्त सारणी के अनुसार एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत समझौता राशि जमा कराकर ब्याज राशि का 50 प्रतिशत व दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च का 100 प्रतिशत तक राहत का लाभ उठावें। यदि आप किसी कारणवश समझौता राशि जमा कराने में असमर्थ हैं तो दिनांक 31.12.2017 से पूर्व समझौता राशि का 25 प्रतिशत जमा कराकर योजनान्तर्गत लाभ लेने हेतु पंजीयन करावें। पंजीयन पश्चात समझौता राशि की शेष 75 प्रतिशत राशि दिनांक 31.03.2018 से पूर्व बैंक में जमा कराया जाना अनिवार्य है।

यदि आप द्वारा दिनांक 31.12.2017 से पूर्व समझौता राशि का पूर्ण भाग अथवा 25 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराई जाती है तो यह माना जावेगा की आप द्वारा जानबुझकर बैंक को देय राशि जमा नहीं करवाई जा रही है। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही एवं स्थितियाँ लागू होंगी:–

1. बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की जावेगी।
2. बैंक में रहन चल / अचल सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
3. यदि नीलामी की कार्यवाही में कोई बोलीदाता उपस्थित नहीं होता है तो जिला कलेक्टर को निवेदन कर बैंक के पक्ष में रहन आपकी सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में क्रय कर लिया जावेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि एकमुश्त समझौता योजनान्तर्गत जमा कराये योग्य राशि को बैंक में जमा कराकर छूट का लाभ उठावें।

शाखा सचिव

नोटः–उपरोक्त सूचनाएं कम्प्यूटर जनरेटेड है। ऋण खाते को ही अधिकृत एवं सही माना जावेगा।

(22)

पावती रसीद

श्रीमान सचिव महोदय,

..... जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि.

.....

विषयः—एकमुश्त समझौता 2017—18 योजनान्तर्गत समझौता करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझे एकमुश्त समझौता योजना की सम्पूर्ण जानकारी मिल गई हैं। मैं समझौता राशि बैंक में निर्धारित दिनांक तक जमा करा दूंगा अन्यथा सम्पादित समझौता रद्द माना जावेगा। यदि मैं छूट से वंचित रहूंगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की रहेगी।

दिनांक

प्रार्थी हस्ताक्षर

नाम—..... जाति—.....

ग्राम—..... ग्राम पंचायत—.....

मोबाईल नं. (अनिवार्य)—.....

(यदि प्रार्थी का मोबाईल नं. नहीं हो तो निकटतम रिश्तेदार का मोबाईल नं. अवश्य लिखवाये)—.